2017 का विधेयक संख्यांक 74

# भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017

## खंडों का क्रम

खंड


अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्ता की संस्थाएं घोषित किया जाना ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

संस्थान

4. संस्थानों का निगमन ।
5. संस्थानों के निगमन का प्रभाव ।
6. संस्थान के उद्देश्य ।
7. संस्थान की शक्तियां और कृत्य ।
8. संस्थानों का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।
9. संस्थान में शिक्षण ।
10. संस्थान का सुभिन्न गैर लाभकारी विधिक अस्तित्व होना ।
11. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों द्वारा संस्थान की स्थापना ।

अध्याय 3

पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्राधिकरण

12. कुलाध्यक्ष ।
13. संस्थान के प्राधिकारी ।
14. शासक बोर्ड ।
15. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।
16. अध्यक्ष का त्यागपत्र ।
17. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
18. सिनेट ।
19. सिनेट की शक्तियां और कृत्य ।
20. वित्त समिति ।

खंड

21. वित्त समिति की शक्तियां और कृत्य ।

22. अधिवेशन ।

23. निदेशक ।

24. रजिस्ट्रार ।

25. संस्थान के कार्यपालन का पुनर्विलोकन ।

अध्याय 4

**लेखा और संपरीक्षा**

26. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुदान ।

27. संस्थान की निधि ।

28. लेखा और संपरीक्षा ।

29. पेंशन और भविष्य निधि ।

30. नियुक्तियां ।

31. परिनियम ।

32. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

33. अध्यादेश ।

34. अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे ।

35. माध्यस्थम् अधिकरण ।

36. निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट ।

37. प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट ।

अध्याय 5

**समन्वयन मंच**

38. समन्वयन मंच ।

39. समन्वयन मंच के सदस्यों की पदावधि और उन्हें संदेय भत्ते ।

40. समन्वयन मंच के कृत्य और कर्तव्य ।

अध्याय 6

**प्रकीर्ण**

41. नियम बनाने की शक्ति ।

42. रिक्तियों आदि से कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

43. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को विवरणियां या सूचना देना ।

44. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

45. संस्थान का सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना ।

46. संक्रमणकालीन उपबंध ।

47. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

48. नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

**अनुसूची**

2017 का विधेयक संख्यांक .

[दि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

# भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017

सूचना प्रौद्योगिकी में नए ज्ञान का विकास करने की दृष्टि से और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में वैश्विक मानकों की जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए, पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के अधीन स्थापित कतिपय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्ता के संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए तथा ऐसी संस्थाओं से या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्ता की संस्थाएं घोषित किया जाना ।

**2.** अनुसूची में वर्णित संस्थानों के उद्देश्य ऐसे हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित करते हैं, यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसा संस्थान राष्ट्रीय महत्ता की संस्था है ।

परिभाषाएं ।

**3.** इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "नियत दिन" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित संस्था की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) किसी संस्था के संबंध में "बोर्ड" से धारा 14 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट शासक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "समन्वय मंच" से धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित मंच अभिप्रेत है ;

(ङ) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) "विद्यमान संस्थान" से अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित संस्थान अभिप्रेत है ;

(छ) "उद्योग भागीदार" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन स्थापित न्यास या कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन स्थापित कंपनी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या कोई वित्तीय संस्था या ऐसे औद्योगिक भागीदारों का एक या अधिक संयोजन अभिप्रेत है ; 1882 का 2 2013 का 18 1860 का 21

(ज) "संस्थान" से अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित कोई संस्था और धारा 11 के अधीन स्थापित ऐसे अन्य संस्थान अभिप्रेत हैं ;

(झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और अधिसूचित पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) "पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी" से केंद्रीय सरकार की स्कीम जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और भागीदारों के बीच सहयोग को अंतर्वलित करते हुए संस्थान की स्थापना का उपबंध करती है, के अधीन ऐसी भागीदारी अभिप्रेत है ;

(ठ) "अनुसूची" से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ड) किसी संस्थान के संबंध में सिनेट से उसकी सिनेट अभिप्रेत है ;

(ढ) किसी संस्थान के संबंध में "परिनियमों" और "अध्यादेश" से इस अधिनियम

के अधीन बनाए गए संस्थान के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 2

## संस्थान

संस्थानों का निगमन ।

4. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही प्रत्येक विद्यमान संस्थान अनुसूची के स्तंभ (5) में यथावर्णित उसी नाम से एक निगमित निकाय होगा ।

(2) नियत दिन से ही धारा 11 के अधीन स्थापित किया जाने वाला कोई अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऐसे नाम से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, एक निगमित निकाय होगा ।

(3) प्रत्येक विद्यमान संस्थान या उपधारा (2) के अधीन स्थापित किसी संस्थान का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसके पास इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए दोनों जंगम और स्थावर संपत्ति को धारण करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह अपने नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

संस्थानों के निगमन का प्रभाव ।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,--

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी विद्यमान संस्थान के प्रति निर्देश स्तंभ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(ख) प्रत्येक विद्यमान संस्थान की सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान में निहित होंगी ;

(ग) प्रत्येक विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार, ऋण और अन्य दायित्व अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व होंगे ;

(घ) ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान में उसी पारिश्रमिक और उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि तथा अन्य विषयों के लिए उसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिन पर वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व धारण करता यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और वह ऐसा करना तब तक जारी रखेगा जब तक कि उसके नियोजन को समाप्त न कर दिया जाए या तब तक जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और शर्तों और निबंधनों को परिनियमों द्वारा सम्यक्त: परिवर्तित न कर दिया जाए :

परन्तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन, ऐसे कर्मचारी को स्वीकार नहीं है तो उसका नियोजन, संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्त किया जा सकेगा या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो उसको तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर का संस्थान द्वारा संदाय करके उसके नियोजन को समाप्त किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी भी विद्यमान संस्थान के निदेशक, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में किसी निर्देश का, चाहे शब्दों के किसी भी रूप में हो, अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुसूची के स्तम्भ (5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान के निदेशक, रजिस्ट्रार और अधिकारी के प्रति निर्देश है;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रत्येक विद्यमान संस्थान में किसी विद्या या अनुसंधान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्समान संस्थान में, ऐसे संस्थान से, जिससे ऐसे व्यक्ति ने प्रवास किया है, पाठ्यक्रम के समान स्तर पर, प्रवासित और रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा :

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित किए जा सकते थे, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्समान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या संस्थित रह सकेंगी ।

संस्थान के उद्देश्य ।

6. प्रत्येक संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :—

(क) सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान के सहबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रमुख संस्थाओं में से उभर कर आना ;

(ख) वैश्विक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में नए ज्ञान और नवप्रवर्तन में अभिवृद्धि करना ;

(ग) देश की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय अभिविन्यास के साथ नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता की भावना से ओत-प्रोत, सक्षम और योग्य युवाओं का विकास करना ;

(घ) प्रवेश, विभिन्न पदों पर नियुक्ति, शैक्षणिक मूल्यांकन, प्रशासन और वित्त से संबंधित विषयों में उच्चतम श्रेणी की पारदर्शिता का संवर्धन करना और उपलब्ध कराना ।

संस्थान की शक्तियां और कृत्य ।

7. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) शिक्षा में अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान के ऐसे क्षेत्रों और उससे सहबद्ध ऐसे क्षेत्रों में, जो संस्थान ठीक समझे, शिक्षण के लिए व्यवस्था करना ;

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान के सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और नवीकरण का, ऐसी रीति से, जो संस्थान ठीक समझे, मार्गदर्शन करना, उनका आयोजन और संचालन करना, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य संस्थान, शिक्षण संस्था, अनुसंधान संगठन, निगमित निकाय या वित्तीय संगठन के साथ राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर सहयोग या सहयोजन भी है ;

(ग) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शिक्षा संबंधी

उपाधियां या पदवियां प्रदान करना और मानद डिग्रियां प्रदान करना ;

(घ) संस्थान के निदेशक पद से भिन्न संस्थान के अधीन शैक्षिक, प्रशासनिक, तकनीकी, मंत्रालयी और अन्य पद सृजित करना तथा उन पर नियुक्तियां करना ;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों की, जो किसी अन्य संस्थान या शिक्षण संस्था में कार्यरत हैं या किसी उद्योग में संस्थान के अनुबद्ध, अतिथि या अभ्यागत संकाय सदस्यों के रूप में महत्वपूर्ण अनुसंधान में लगे हुए हैं, ऐसे निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए, जो संस्थान द्वारा विनिश्चित की जाए, नियुक्ति करना ;

(च) प्रशासनिक और अन्य पद सृजित करना तथा उन पर ऐसे मानदंड, जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं, के अनुसार नियुक्तियां करना ;

(छ) अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान के प्रसार के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे ठहराव करना जिनमें ऐसे अन्य संस्थान, उद्योग, सिविल सोसाइटी या अन्य संगठनों के साथ परामर्श और सलाहकारी सेवाएं भी सम्मिलित हैं, जो संस्थान आवश्यक समझे ;

(ज) वेबसाइट सृजित करना, ऐसी सूचना पर बल देना, जो छात्रों, प्रवेश, फीस, प्रशासनिक ढांचा, नीतियां, जिसके अंन्तर्गत भर्ती नियम, संकाय और गैर संकाय पद, वार्षिक रिपोर्ट तथा संस्थान के लेखा विवरण सहित वित्तीय ब्यौरे भी हैं ;

(झ) व्यक्ति, संस्था या निगमित निकाय से सेवाओं के लिए, जिनमें संस्थान द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण, परामर्श तथा सलाहकारी सेवाएं सम्मिलित हैं, ऐसे प्रभार, जो संस्थान ठीक समझे अवधारित करना, विनिर्दिष्ट करना तथा संदाय प्राप्त करना ;

(ञ) संस्थान की या उसमें निहित किसी संपत्ति का ऐसी रीति से व्यवहार करना, जो संस्थान के उद्देश्यों की अभिवृद्धि करने के लिए ठीक समझे :

परन्तु संस्थान द्वारा संबंधित राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का निपटान नहीं किया जाएगा ;

(ट) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त करना तथा, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, संदानकर्ताओं या अंतरकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों की वसीयत, संदान या अंतरण प्राप्त करना;

(ठ) विश्व के किसी भाग में संस्थान के पूर्णत: या भागत: समरूप उद्देश्य रखने वाली शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और साधारणत: ऐसी रीति में सहयोग करना, जो सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक हों ;

(ड) ऐसी अवसंरचना स्थापित करना और उसको बनाए रखना, जो संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो ;

(ढ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ; और

(ण) ऐसी अन्य सभी बातें करना जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की

प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

(2) खंड (ञ) में किसी बात के होते हुए भी, कोई संस्थान, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी स्थावर संपत्ति का किसी भी रीति से व्ययन नहीं करेगा,--

(क) उस खंड या क्षेत्र में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों की सहायता और सहयोग जो तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम चला रहे हैं ;

(ख) उसके क्षेत्र में सम्मिलित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सूचना प्रौद्योगिकी के मामलों में और संस्थान को परामर्श के लिए निर्दिष्ट अन्य प्रौद्योगिकीय मुद्दों पर परामर्श देना ।

संस्थानों का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।

8. (1) प्रत्येक संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वंश, नि:शक्तता, अधिवास, नस्ल, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों ।

(2) किसी भी संस्थान द्वारा किसी ऐसी संपत्ति की वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा जो समन्वयन मंच की राय में ऐसी शर्तों या बाध्यताओं को अन्तर्वलित करता है जो इस धारा के भाव और उद्देश्य के प्रतिकूल हैं ।

(3) प्रत्येक संस्थान में अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश, ऐसे संस्थान द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व उसके प्रोस्पेक्टस के माध्यम से प्रकट पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा :

परंतु प्रत्येक ऐसा संस्थान, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्था होगी । 2007 का 5

संस्थान में शिक्षण ।

9. प्रत्येक संस्थान में सभी प्रकार के शिक्षण, इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार संस्थान के नाम से संचालित किए जाएंगे ।

संस्थान का सुभिन्न गैर लाभकारी विधिक अस्तित्व होना ।

10. (1) प्रत्येक संस्थान एक गैर लाभकारी विधिक अस्तित्व होगा और ऐसे संस्थान में इस अधिनियम के अधीन उसके प्रचालनों के संबंध में सभी व्ययों की पूर्ति के पश्चात् राजस्व के अधिशेष का भाग, यदि कोई है, ऐसे संस्थान की वृद्धि और विकास से या उसमें अनुसंधान संचालित करने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विनिहित नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान, आत्मनिर्भरता, भरणीयता और संस्थान के भावी विकास के लिए एक स्थोरा के सृजन के लिए निधियां जुटाने का प्रयास करेगा ।

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों द्वारा संस्थान की स्थापना ।

11. (1) राज्य सरकार कम से कम एक उद्योग भागीदार और अधिमानत: तीन उद्योग भागीदारों के सहयोग के लिए पहचान करेगी और केंद्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार ऐसा मानदंड, जो विहित किया जाए, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, के आधार पर प्रस्ताव की जांच करेगी, अर्थात् :--

(क) प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी विनिधान को केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों द्वारा 50:35:15 के अनुपात में वहन किया जाएगा और आवर्ती व्यय, जो प्रचालन के पहले पांच वर्ष के दौरान

आवश्यक माना जाए, को केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा :

परंतु पूर्वोत्तर राज्य में प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी विनिधान का अनुपात 57.5:35:7.5 होगा ;

(ख) उपधारा (1) में प्रस्तावित उद्योग भागीदारों की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव ;

(ग) संस्थान की सहायता के लिए उद्योग भागीदारों की क्षमता, वित्त और अन्य संसाधनों का निर्धारण ;

(घ) पर्याप्त भूमि की उपयुक्तता, जो पचास से सौ एकड़ के विस्तार तक होगी, को राज्य सरकार द्वारा बिना किसी लागत के उपलब्ध कराया जाएगा ;

(ङ) प्रस्तावित स्थल पर पर्याप्त भौतिक संरचना की उपलब्धता या राज्य सरकार द्वारा उसे उपलब्ध कराए जाने की प्रतिबद्धता अर्थात् जल, विद्युत, सड़क संपर्कता और सुरक्षा ।

(3) केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार की सहमति से उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव में उपांतरणों का सुझाव दे सकेगी, यदि कोई हों ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को स्वीकार नहीं है तो केंद्रीय सरकार उस राज्य सरकार को अपने विनिश्चय की ऐसे विनिश्चय के लिए कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए संसूचना देगी ।

(5) केंद्रीय सरकार उपांतरणों, यदि कोई हों, के साथ उपधारा (3) के अधीन प्रस्ताव की स्वीकृति पर प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों के साथ एक समझौता ज्ञापन या करार करेगी ।

(6) उद्योग भागीदार–

(क) समग्र फ्रेमवर्क के भीतर संस्थान के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेगा ;

(ख) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ या तो वित्तपोषण, सहयोग या किसी अन्य रीति में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता करेगा और सुकर बनाएंगे ;

(ग) अनुबद्ध संकाय के रूप में अनुभवी व्यष्टिकों को तैनात करेगा ;

(घ) विद्यार्थियों को उनके अध्ययन पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में अपने उद्यम के भीतर अनुसंधान परियोजनाएं करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, समर्थ बनाएगा, सहायता करेगा और मार्गनिर्देश देगा ;

(ङ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के संकाय सदस्यों को छुट्टी पर उद्योग के साथ लघु अवधि के लिए कार्य करने के लिए स्वीकार करेगा ;

(च) संस्थान के साथ उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों का सह-सृजन करेगा ;

(छ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटरनशिप उपलब्ध कराएगा ;

(ज) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थियों के नियोजन को सुकर बनाएगा ;

(झ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में डाक्टरेट अध्ययनों के लिए उनके पात्र कर्मचारियों को प्रायोजित करेगा ;

(ञ) संस्थान के स्ट्राटअप का वित्तपोषण और मार्गदर्शन करेगा ।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक समझौता ज्ञापन या करार में–

(क) संस्थान की स्थापना के लिए पूंजी का प्रस्तावित विनिधान और संबंधित शेयर, जैसा कि विहित किया जाए अन्तर्विष्ट होंगे ;

(ख) संस्थान का पहला परिनियम अन्तर्विष्ट होगा ;

(ग) प्रस्तावित संस्थान की स्वायत्ता का सुनिश्चय करने के लिए केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार और उद्योग भागीदार की प्रतिबद्धता अन्तर्विष्ट होगी ; और

(घ) शर्तें यदि उद्योग भागीदार अलग होते हैं, अंतर्विष्ट होंगी ।

अध्याय 3

## पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्राधिकरण

कुलाध्यक्ष ।

12. (1) भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे ।

(2) कुलाध्यक्ष, किसी संस्थान के कामकाज और प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए और उनके कार्यों की जांच करने और उन पर ऐसी रीति में रिपोर्ट देने के लिए, जैसा कुलाध्यक्ष निदेश दे, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ।

(3) ऐसी किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, कुलाध्यक्ष ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह रिपोर्ट में चर्चित मामलों में से किसी के संबंध में आवश्यक समझे और संस्थान ऐसे निदेशों का युक्तियुक्त समय के भीतर पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

संस्थान के प्राधिकारी ।

13. संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाध्यक्ष ;

(ख) शासक बोर्ड;

(ग) सिनेट;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिनको परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी होना घोषित किया जाए ।

शासक बोर्ड ।

14. (1) प्रत्येक संस्थान का शासक बोर्ड, संस्थान का प्रधान कार्यकारी निकाय होगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान के शासक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) एक अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा सिफारिश किए गए तीन नामों के

पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा किसी एक विख्यात प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति या शिक्षाविद् को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ख) केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार, प्रत्येक का एक नामनिर्देशिती ;

(ग) तीन विख्यात व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जिनकी बोर्ड द्वारा उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और सिविल सोसाइटी प्रत्येक प्रवर्ग में से एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ;

(घ) बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद् ;

(ङ) प्रत्येक उद्योग भागीदारों की नियुक्ति करने वाला एक नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि :

परंतु यदि दो से अधिक उद्योग भागीदार हैं तो किसी भी समय उद्योग भागीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की संख्या दो तक सीमित होगी, जिनका चयन उनमें से प्रत्येक दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रम में किया जाएगा ।

(च) क्षेत्र में अवस्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक, जिसको बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(छ) संस्थान के संकाय से दो सदस्य, अधिमानत: एक आचार्य और एक सहबद्ध/सहायक आचार्य, जिनको सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ज) यदि पूर्वोक्त में से कोई भी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंध नहीं रखता है तो, शिक्षा या उद्योग या सामाजिक सेवा या लोक सेवा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से एक विख्यात व्यक्ति, जिसे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; और

(झ) संस्थान का निदेशक, पदेन ।

(3) संबंधित संस्थान का रजिस्ट्रार बोर्ड का पदेन गैर-सदस्य सचिव होगा ।

(4) पहले शासक बोर्ड को केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन खंड (ग), खंड (घ), खंड (च) और खंड (ज) में निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न नामनिर्देशन अभिप्राप्त करके अधिसूचित किया जाएगा, जिसका शासक बोर्ड की पहली बैठक में विनिश्चय किया जाएगा ।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।

15. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के अध्यक्ष या पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगी ।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को जिसके आधार पर वह सदस्य है, धारण करता है ।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न, बोर्ड का कोई सदस्य, जो बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है, बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

(4) बोर्ड के एक-तिहाई सदस्य बोर्ड की गणपूर्ति करेंगे, परन्तु कम से कम उनमें तीन

सदस्य उन सदस्यों में से हों, जो धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (छ) और खंड (झ) से भिन्न खंडों में निर्दिष्ट सदस्य हैं ।

(5) बोर्ड के सदस्य, बोर्ड की या जो संस्थान द्वारा आयोजित की जाएं, बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्यक्ष का त्यागपत्र ।

16. (1) अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष को अपने हस्ताक्षरित लिखित संबोधन द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) सिवाय पदेन सदस्य के बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षरित लिखित संबोधन द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

17. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड साधारण नीति निर्माण, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और उसको धारा 6 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान के कार्यकलापों को शासित करने वाले परिनियमों या अध्यादेशों को विरचित करने, संशोधित करने, उपांतरित करने या विखंडित करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) संस्थान की प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों का विनिश्चय करना;

(ख) संस्थान में विभागों, संकायों या अध्ययन विद्यापीठों की स्थापना करना और कार्यक्रमों या अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरंभ करना;

(ग) ऐसे संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा और अनुमोदन करना;

(घ) ऐसे संस्थान के विकास के लिए योजना की परीक्षा और अनुमोदन करना और योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त के स्रोतों की पहचान करना;

(ङ) शिक्षण, शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों को सृजित करना तथा उन पर नियुक्तियां करना ;

(च) ऐसे संस्थान में शैक्षिक और अन्य पदों पर नियुक्ति की अर्हताएं, मानदंड और प्रक्रियाएं परिनियमों द्वारा उपबंधित करना;

(छ) संस्थान में अध्ययन, पाठ्यक्रमों के लिए फीसें और अन्य संदेय प्रभारों का अनुमोदन करना;

(ज) संस्थान के प्रशासन, प्रबंधन और प्रचालनों को शासित करने के लिए धारा 32 के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिनियम बनाना;

(झ) डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शिक्षा संबंधी उपाधियां या पदवियां प्रदान करना और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ; और

(ञ) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित

अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य कर्तव्यों का पालन करना ।

(3) बोर्ड, इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन रहते हुए सिनेट या निदेशक को ऐसी शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जो बोर्ड ठीक समझे ।

(4) बोर्ड, संस्थान को चार वर्ष की अवधि के भीतर आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतियां बनाएगा ।

(5) बोर्ड, संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में निदेशक के नेतृत्व के विनिर्दिष्ट संदर्भ में उसके कार्यों का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगा ।

(6) बोर्ड अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में, यथास्थिति, सिनेट और संकाय के विभागों या विद्यापीठों को शैक्षिक मामलों में स्वायत्ता प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा ।

(7) जहां निदेशक या अध्यक्ष की राय में स्थिति इस प्रकार आपातिक है कि संस्थान के हित में तत्काल विनिश्चय किए जाने की आवश्यकता है, वहां अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से उसकी राय के लिए कारण को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जो आवश्यक हों :

परंतु ऐसे आदेश बोर्ड की आगामी बैठक में अनुसमर्थन के लिए रखे जाएंगे ।

सिनेट ।

18. (1) प्रत्येक संस्थान के सिनेट में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) संस्थान का निदेशक, जो सिनेट का पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) सभी संकायाध्यक्ष, पदेन ;

(ग) यथास्थिति, संस्थान के विभागों, संकायों या विद्यापीठों के अध्यक्ष, पदेन ;

(घ) संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों से भिन्न सभी आचार्य ;

(ङ) ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों या संस्थान के क्रियाकलापों से संबंधित अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो संस्थान की सेवा में नहीं हैं, जो कि शासक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(च) ऐसे तीन व्यक्ति जो शैक्षिक कर्मचारिवृंद के सदस्य नहीं हैं जिन्हें उनके विशेषीकृत ज्ञान के लिए सिनेट द्वारा सहयोजित किया जाए ;

(छ) संस्थान का रजिस्ट्रार, पदेन सचिव ।

(2) खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष होगी ।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को, जिसके आधार पर वह सदस्य है, धारण करता है ।

सिनेट की शक्तियां और कृत्य ।

19. (1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेट, संस्थान का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और उसको शैक्षणिक विषयों तथा संस्थान के छात्रों के कार्यकलाप और कल्याण को शासित करने वाले अध्यादेशों को अधिनियमित, संशोधित या उपांतरित करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सिनेट के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) संस्थान द्वारा प्रस्थापित अध्ययन के पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंड और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ख) शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों को सृजित करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियों का अवधारण करना और अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक पदों के कर्तव्य तथा सेवा की शर्तें परिभाषित करना;

(ग) नए कार्यक्रमों या अध्ययन के पाठ्यक्रमों के प्रारंभ के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना;

(घ) कार्यक्रमों और अध्ययन के पाठ्यक्रमों की विस्तृत शैक्षणिक अंतर्वस्तु को विनिर्दिष्ट करना और उसमें उपांतरणों का जिम्मा लेना;

(ङ) शैक्षणिक कलैन्डर विनिर्दिष्ट करना और डिग्रियों, डिप्लोमाओं और अन्य शैक्षणिक उपाधियों या पदवियों को दिए जाने का अनुमोदन करना;

(च) विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षकों, अनुसीमकों, सारणीकारों और ऐसे अन्य कार्मिकों को नियुक्त करना;

(छ) विश्वविद्यालयों के डिप्लोमाओं और डिग्रियों या अन्य संस्थानों को मान्यता प्रदान करना और संस्थान के डिप्लोमाओं या डिग्रियों की समतुल्यता अवधारित करना;

(ज) विभागीय समन्वय के उपाय सुझाना;

(झ) शासक बोर्ड को निम्नलिखित पर मुख्य सिफारिशें करना—

(अ) शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार के उपाय;

(आ) पदों, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों नि:शुल्कवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना और अन्य संबंधित विषय;

(इ) विभागों या केन्द्रों का स्थापन या उत्सादन; और

(ई) संस्थान के शैक्षणिक कृत्य, अनुशासन, निवास, प्रवेश, परीक्षाएं, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों, नि:शुल्कवृत्तियों, छूटों के दिए जाने, उपस्थिति और अन्य संबंधित विषयों को समाविष्ट करने वाली उपविधियां ;

(ञ) ऐसे विनिर्दिष्ट विषयों पर, जो शासक बोर्ड द्वारा या स्वयं द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, सलाह देने के लिए उप समितियां नियुक्त करना;

(ट) उप समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और ऐसी कार्रवाई करना, जो अपेक्षित हों, जिसके अंतर्गत शासक बोर्ड को सिफारिशें करना भी है;

(ठ) विभागों और केन्द्रों के क्रियाकलापों का कालिक पुनर्विलोकन करना और समुचित कार्रवाई करना, जिसके अंतर्गत संस्थान में शिक्षण के स्तर को बनाए रखने

और उसमें सुधार करने के दृष्टिकोण से शासक बोर्ड को सिफारिशें करना भी है; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसको परिनियमों द्वारा या अन्यथा बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं ।

वित्त समिति ।

20. (1) प्रत्येक संस्थान की वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, शासक बोर्ड, पदेन जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित मामलों का संचालन करता हो, पदेन;

(ग) उस राज्य सरकार, जिसमें संस्थान अवस्थित है, का एक प्रतिनिधि, पदेन ;

(घ) उद्योग भागीदारों द्वारा स्वयं में से चुना जाने वाला एक प्रतिनिधि ;

(ङ) निदेशक, पदेन;

(च) संस्थान के वित्त और लेखाओं का प्रभारी अधिकारी, पदेन सचिव ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न, वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की कालवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

वित्त समिति की शक्तियां और कृत्य ।

21. वित्त समिति, संस्थान के लेखाओं की परीक्षा, व्यय के लिए प्रस्तावों और वित्तीय प्राक्कलनों की संवीक्षा करेगी और उसके पश्चात् उसे अनुमोदन के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ शासक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

अधिवेशन ।

22. (1) अध्यक्ष, संस्थान के बोर्ड, वित्त समिति के अधिवेशनों और दीक्षांत समारोहों की सामान्यत: अध्यक्षता करेगा ।

(2) अध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाए ।

(3) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

निदेशक ।

23. (1) निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा और वह बोर्ड और सिनेट द्वारा किए गए विनिश्चयों तथा संस्थान के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) निदेशक की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं ।

(3) निदेशक की नियुक्ति, खोजबीन-सह-चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से की जाएगी--

(क) बोर्ड का अध्यक्ष, जो खोजबीन-सह-चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) बोर्ड द्वारा विख्यात प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों और प्रबंध विशेषज्ञों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य ;

(ग) उस राज्य की सरकार का नामनिर्देशिती, जिसमें संस्थान अवस्थित है ;

(घ) चक्रानुक्रम में किसी एक उद्योग भागीदार का नामनिर्देशिती ;

(ङ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ब्यूरो प्रमुख-गैर-सदस्य सचिव, पदेन ।

(4) निदेशक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसको सौंपे जाएं अथवा बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(5) निदेशक, सिवाय पद त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा ।

(6) निदेशक, अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षरित लिखित संबोधन द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(7) कुलाध्यक्ष, निदेशक को पद से हटा सकेगा, जो—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें कुलाध्यक्ष की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है :

परंतु निदेशक को बोर्ड द्वारा सिवाय ऐसी जांच, जिसमें निदेशक को प्रभारों से सूचित किया गया हो तथा उन प्रभारों के संबंध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया हो, संस्थित करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष के आदेश के बिना नहीं हटाया जाएगा ।

(8) बोर्ड निदेशक के पद पर किसी रिक्ति के संबंध में उसकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व ऐसी रिक्ति के उदभूत होने की तारीख से छह मास पूर्व नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरंभ करेगा और नियुक्ति की प्रक्रिया को ऐसी रिक्ति उदभूत होने से पूर्व पूरा कर लिया जाएगा ।

(9) जब निदेशक का पद पदावधि पूरी होने से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो बोर्ड द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को ऐसी रिक्ति होने के एक मास के भीतर प्रारंभ किया जाएगा तथा प्रक्रिया को यथासंभवशीघ्र पूरा किया जाएगा ।

रजिस्ट्रार ।

24. (1) प्रत्येक संस्थान के रजिस्ट्रार की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं ।

(2) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो परिनियमों या निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार अपने कृत्यों के उपयुक्त निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी

होगा ।

संस्थान के कार्यपालन का पुनर्विलोकन ।

25. (1) संस्थान, उसकी स्थापना और इस अधिनियम के अधीन उसके निगमन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष के अवसान पर, उक्त अवधि के दौरान उसके उद्देश्यों की बाबत संस्थान के कार्यपालन और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगा या तृतीय पक्षकार के रूप में एक अभिकरण की नियुक्ति करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति में शिक्षा या उद्योग से, ऐसे संस्थान में अध्यापन, पठन और अनुसंधान के सुसंगत क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त सदस्य सम्मिलिति होंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तृतीय पक्षकार अभिकरण के पास ऐसे मूल्यांकनों का संचालन करने का पूर्व अनुभव होगा ।

(4) यथास्थिति, पुनर्विलोकन समिति या तृतीय पक्षकार अभिकरण संस्थान के कार्यपालन का मूल्यांकन करेगा और निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा—

(क) अध्यापन, पठन और अनुसंधान की स्थिति द्वारा यथाप्रदर्शित धारा 6 में उल्लिखित संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति का विस्तार और समाज के प्रति उसका योगदान;

(ख) रूपांतरणीय अनुसंधान का संवर्धन और उद्योग तथा समाज पर उसका प्रभाव;

(ग) ज्ञान की विद्यामान सीमाओं से परे मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक रूप से नेतृत्व करने वाले संस्थानों के बीच संस्थान की स्थापना ;

(ङ) ऐसे अन्य पैरामीटर, जिन्हें बोर्ड आवश्यक समझे और विनिर्दिष्ट करे ।

(5) बोर्ड, पुनर्विलोकन समिति या तृतीय पक्षकार अभिकरण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा तथा उसे अपनी वेवसाइट पर रखेगा और उपधारा (3) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर विचार करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा, जिसे वह उचित समझे :

परंतु पुनर्विलोकन समिति या तृतीय पक्षकार अभिकरण की सिफारिशों को, की गई कार्यवाही या करने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही संबंधी स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ, उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

अध्याय 4

## लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुदान ।

26. (1) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन संस्थानों को उनके कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, इस निमित्त संसद् और संबद्ध राज्य विधान-मंडल की विधियों द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धनों की ऐसी राशियों

का संदाय ऐसी रीति में कर सकेंगी, जो अधिनियम की धारा 11 के अधीन उसकी बाध्यताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षित हैं ।

(2) केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार, प्रत्येक संस्थान को धन की ऐसी राशियों का अनुदान कर सकेंगी जो इसके द्वारा स्थापित छात्रवृत्तियों या अध्येतावृत्तियों, जिसमें ऐसे संस्थान में अभ्यावेशित नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां या अध्येतावृत्तियां सम्मिलित हैं, के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित हैं ।

संस्थान की निधि।

27. प्रत्येक संस्थान एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित धन जमा किए जाएंगे–

(क) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उद्योग भागीदार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी धन ;

(ख) संस्थान द्वारा छात्रों से प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति वसीयत या अंतरण के रूप में प्राप्त सभी धन ;

(घ) संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान या इसके द्वारा सलाहकारी या परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने से उदभूत बौद्धिक संपदा के उपयोग से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी निधियां ; और

(ङ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन ।

(2) प्रत्येक संस्थान की निधि का उपयोग संस्थान के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और इसके कर्तव्यों के निर्वहन में, संस्थान में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं अथवा उद्योगों के साथ सहयोग करने में और संस्थान की वृद्धि और विकास के उद्देश्य से किए गए पूंजी विनिधान में उपगत व्यय सम्मिलित हैं ।

(3) प्रत्येक संस्थान की निधि में जमा किए गए सभी धनों को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उनका विनिधान ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसाकि संस्थान द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से विनिश्चय किया जाए ।

(4) प्रत्येक संस्थान, संस्थान की दीर्घकालिक संवहनीयता के लिए एक समग्र निधि का सृजन करेगा, जिसमें संस्थान की शुद्ध आय के ऐसे प्रतिशत और ऐसी समग्र निधि के मद्दे विनिर्दिष्ट रूप से किए गए संदानों के ऐसे प्रतिशत को, जिसे केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित करे, जमा किया जाएगा : 1961 का 43

परंतु बोर्ड विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विन्यास निधियों का भी सृजन कर सकेगा, जिनमें विनिर्दिष्ट रूप से संदान किए जा सकेंगे ।

लेखा और संपरीक्षा ।

28. (1) प्रत्येक संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे प्ररूप और ऐसे लेखा मानक के, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से

अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुसार तैयार किया जाने वाला तुलनपत्र भी है ।

(2) जहां संस्थान की आय और व्यय का विवरण तथा तुलनपत्र लेखा मानकों के अनुरूप नहीं हैं, वहां संस्थान अपने आय और व्यय के विवरण तथा तुलनपत्र में निम्नलिखित को प्रकट करेगा, अर्थात् :–

(क) लेखा मानकों से विचलन;

(ख) ऐसे विचलन के लिए कारण; और

(ग) ऐसे विचलन के कारण उदभूत होने वाले वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हों ।

(3) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या विद्यमान नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षा दल द्वारा उपगत किसी व्यय का संदाय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या किसी संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास शासकीय लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसके पास विशिष्ट रूप से लेखा बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्रत्येक संस्थान के लेखाओं को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

पेंशन और भविष्य निधि ।

29. प्रत्येक संस्थान, अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन कर सकेगा या ऐसी कोई बीमा स्कीम उपलब्ध करा सकेगा, जिसे वह उचित समझे तथा ऐसा उस रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं ।

नियुक्तियां ।

30. प्रत्येक संस्थान के निदेशक के सिवाय कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी ।

परिनियम ।

31. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) शिक्षण विभागों का बनाया जाना ;

(ख) संस्थान की अनुसंधान परिषद् का सृजन ;

(ग) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों का प्रारंभ किया जाना ;

(घ) संस्थान के अधिकारियों की पदावधि और उनकी नियुक्ति की पद्धति;

(ङ) संस्थान के शिक्षकों की अर्हताएं ;

(च) संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण ;

(छ) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए समय-समय पर विद्यमान उपबंधों के अनुसार पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना ;

(ज) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य ;

(झ) छात्र-निवासों और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण ;

(ञ) संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें और छात्र-निवासों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण ;

(ट) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते;

(ठ) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ;

(ड) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कामकाज के संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(ढ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो संस्थान के दक्ष कार्यकरण के लिए आवश्यक समझा जाए ।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

32. (1) प्रत्येक संस्थान का प्रथम परिनियम कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से बोर्ड द्वारा बनाया जाएगा ।

(2) बोर्ड, समय-समय पर नए और अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों में संशोधन या उनका निरसन कर सकेगा ।

अध्यादेश ।

33. इस अधिनियम के उपबंधों और परिनियमों के अध्यधीन, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) संस्थान की सभी उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को संस्थान के उपाधि या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और उसकी परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए पात्र होंगे ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य ;

(च) परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) संस्थान के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ; और

(ज) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जा सकेगा ।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे ।

34. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जैसे सिनेट निदेश दे, परंतु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश बोर्ड को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर बोर्ड द्वारा उसके अगले अधिवेशन में विचार किया जाएगा ।

(3) बोर्ड को किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से, तद्नुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

माध्यस्थम् अधिकरण ।

35. (1)(क) किसी संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच हुई संविदा से उदभूत होने वाले किसी विवाद को, संबद्ध कर्मचारी या संस्थान के कहे जाने पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारिवृन्द द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक सम्मिलित होंगे ।

(ख) अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(ग) ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसे उपधारा (1) के अनुसार माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं लाई जाएगी ।

(घ) माध्यस्थम् अधिकरण के पास उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी :

परंतु अधिकरण ऐसी प्रक्रिया बनाते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा ।

(ङ) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

(2) कोई छात्र या परीक्षा का ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके नाम को संस्थान के निदेशक के आदेशों या संकल्प के द्वारा संस्थान की नामावलियों से हटा दिया गया है और जिसे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए संस्थान की परीक्षाओं में बैठने से विवर्जित कर दिया गया है, उसके द्वारा ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड निदेशक के विनिश्चय की पुष्टि, उसमें उपांतरण या उसे उलट सकेगा ।

(3) संस्थान द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उदभूत होने वाले किसी विवाद को, ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस उपधारा के अधीन किए गए किसी निर्देश को यथासाध्य रूप से उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र के पास, यथास्थिति, संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध शासी बोर्ड को, परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाने वाले समय के

भीतर अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरांत बोर्ड उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उसमें उपांतरण या उसे उलट सकेगा ।

निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट ।

36. (1) प्रत्येक संस्थान के बोर्ड के समक्ष रखे गए लेखाओं के प्रत्येक विवरण के साथ निम्नलिखित से संबंधित उसके निदेशक की रिपोर्ट संलग्न होगी--

(क) ऐसे संस्थान की कार्यकलापों की स्थिति ;

(ख) ऐसी रकम, यदि कोई हो, जिसका उसने अपने तुलनपत्र में अधिशेष आरक्षितियों को अग्रनीत किए जाने का प्रस्ताव किया है ;

(ग) वह सीमा, जिस तक व्यय पर आय के किसी अधिशेष या आय पर व्यय की किसी कमी की न्यूनोक्ति या अत्योक्ति को संपरीक्षक की रिपोर्ट में उपदर्शित किया गया है और ऐसी न्यूनोक्ति या अत्योक्ति के कारण ;

(घ) संस्थान द्वारा आरंभ की गई अनुसंधान परियोजनाओं की उत्पादकता, जिन्हें ऐसे मापदंडों के अनुसार मापा गया है, जो किसी कानूनी विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों ;

(ङ) संस्थान के अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्तियां ;

(च) संस्थान द्वारा निश्चित संदर्भिका और आंतरिक मापदंड, जिनके अतंर्गत शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के प्रयोग में नवप्रवर्तनों की प्रकृति भी हैं ।

(2) निदेशक अपनी रिपोर्ट में, संपरीक्षक की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट प्रत्येक निग्रह, अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण देने के लिए भी बाध्य होगा ।

प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट ।

37. (1) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निदेशाधीन तैयार की जाएगी जिसके अंतर्गत, अन्य विषयों के साथ, संस्थान द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए उपाय और ऐसे संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान के मूल्यांकन आधारित परिणाम भी होंगे और उसे बोर्ड को, ऐसी तारीख, जो विनिर्दिष्ट की जाए, को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी और उसे संस्थान की वेबसाइट पर रखा जाएगा ।

(3) बोर्ड प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास के अवसान पर या उससे पूर्व संस्थान के पूर्ववर्ष के कार्यकरण के संबंध में एक रिपोर्ट अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार तथा जारी करेगा और उसकी एक प्रति, पूर्ववर्ष के लिए संस्थान के आय और व्यय को दर्शित करने वाले संपरीक्षित लेखा विवरणों के साथ अनुबंधित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और उसे संसद् के प्रत्येक सदन और संबद्ध राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

## अध्याय 5

## समन्वयन मंच

समन्वयन मंच ।

38. (1) संस्थानों के बीच बेहतर समन्वयन स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुसूची के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट सभी संस्थानों के लिए एक केन्द्रीय निकाय की

स्थापना कर सकेगी, जो समन्वयन मंच के नाम से ज्ञात होगा ।

(2) समन्वयन मंच में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :--

(i) केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री, जिसका तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन, अध्यक्ष के रूप में;

(ii) केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभाग का प्रभारी सचिव, भारत सरकार, जिसका तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पदेन;

(iii) ऐसे राज्यों की, जिनमें संस्थान अवस्थित हैं, राज्य सरकारों के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की देखभाल करने वाले विभाग के प्रभारी चार सचिव, जिन्हें दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रम द्वारा समन्वयन मंच के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन;

(iv) संस्थानों के चार अध्यक्ष, जिन्हें दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रम द्वारा समन्वयन मंच के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(v) संस्थानों में से प्रत्येक का निदेशक, पदेन;

(vi) चार उद्योग भागीदार, जिनमें से किसी एक संस्थान से एक से अधिक व्यक्ति नहीं होगा और जिन्हें दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रम द्वारा समन्वयन मंच के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(vii) शिक्षा, उद्योग या लोकसेवा के क्षेत्रों से तीन सुविख्यात व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जिन्हें समन्वयन मंच के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और

(viii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि :

परंतु खंड (iii), खंड (iv) और खंड (vi) के अधीन व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करते समय, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यथासंभव रूप से राज्य सरकारों के सचिव, संस्थानों के अध्यक्षों और उद्योग भागीदारों के प्रतिनिधियों और यथासंभव सीमा तक भिन्न-भिन्न संस्थानों के बोर्ड के सदस्यों का चयन करके यथाशक्य संस्थानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए ।

(3) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग का एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो और जो तकनीकी शिक्षा से संबंध रखता हो, समन्वयन मंच के सदस्य-सचिव, पदेन के रूप में कार्य करेगा ।

(4) समन्वयन मंच, अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में समन्वयन मंच की सहायता करने हेतु अपने विवेकानुसार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान समन्वयन मंच (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) की स्थायी समिति का गठन कर सकेगा ।

(5) समन्वयन मंच के व्यय की पूर्ति, इस अधिनियम द्वारा शासित सभी संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधनों से की जाएगी ।

समन्वयन मंच के सदस्यों की पदावधि और उन्हें संदेय भत्ते ।

39. (1) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (viii) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि उस समय तक जारी रहेगी, जब तक वह सदस्य ऐसा पद धारण करता रहता है, जिसके कारण वह सदस्य बना है ।

(3) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (iii), खंड (iv) और खंड (vi) के अधीन समन्वयन मंच के सदस्यों का नामनिर्देशन करते समय समन्वयन मंच का अध्यक्ष यथासंभव रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक संस्थान से अधिकतम संभव प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए ।

(4) समन्वयन मंच के सदस्य, समन्वयन मंच के और उसकी समितियों के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए यात्रा और ऐसे अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं ।

समन्वयन मंच के कृत्य और कर्तव्य ।

40. (1) समन्वयन मंच, सभी संस्थानों के कार्यपालन में अभिवृद्धि करने के विचार से अनुभव, विचारों और चिन्ताओं के आदान-प्रदान को सुकर बनाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समन्वयन मंच निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात् :--

(क) केन्द्रीय सरकार को अनुसूची में किसी नई संस्था को सम्मिलित करने या किसी विद्यमान संस्था को उससे अपवर्जित करने की सलाह देना ;

(ख) संस्थानों के समान हित के ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श करना, जो किसी संस्थान द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं;

(ग) संस्थानों के कार्यकरण में आवश्यक समन्वयन और सहयोग का समर्थन करना ;

(घ) केन्द्रीय सरकार को, छात्रवृत्तियां प्रारंभ करने की सिफारिश करना, जिसके अंतर्गत अनुसंधान हेतु तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के फायदे के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं ; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जो उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु इस धारा की कोई बात प्रत्येक संस्थान के बोर्ड या सिनेट या अन्य प्राधिकारियों में विधि द्वारा निहित शक्तियों और कृत्यों को अल्पीकृत नहीं करेगी ।

(3) समन्वयन मंच का अध्यक्ष सामान्यतया, समन्वयन मंच के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के विभाग का प्रभारी सचिव, भारत सरकार अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(4) समन्वयन मंच वर्ष में कम से कम एक बार या जब कभी समन्वयन मंच के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए, अपने अधिवेशन करेगा और वह अपने अधिवेशनों में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए ।

## अध्याय 6

## प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति ।

41. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) वह प्ररूप और रीति जिसमें राज्य सरकार धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी ;

(ख) धारा 11 की उपधारा (7) के अधीन संस्थान की स्थापना में पूंजी के विनिधान प्रस्ताव और उनके अपने-अपने शेयर ;

(ग) धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन समन्वयन मंच के सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते ;

(घ) धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन समन्वयन मंच के अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ।

रिक्तियों आदि से कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

42. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित समन्वयन मंच या किसी संस्थान या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य केवल इस कारण अविधिमान्य न होगा कि--

(क) उस में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) इसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ।

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को विवरणियां या सूचना देना ।

43. (1) संस्थान केन्द्रीय सरकार को अपनी नीतियों या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना देगा, जो केन्द्रीय सरकार संसद् को रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए या नीति बनाने के लिए समय-समय पर अपेक्षा करे ।

(2) संस्थान ऐसे राज्य की, जिसमें संस्थान अवस्थित है, सरकार को अपनी नीतियों या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना देगा, जो राज्य सरकार संबद्ध राज्य विधान-मंडल को रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए या नीति बनाने के लिए समय-समय पर अपेक्षा करे ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

44. संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं ।

संस्थान का सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना।

2005 का 22

45. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध प्रत्येक संस्थान को ऐसे लागू होंगे, मानो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई लोक प्राधिकारी हो ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

46. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी--

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले प्रत्येक संस्थान के बोर्ड के रूप में कार्य करने वाला बोर्ड उसी रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक इस

अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए कोई नया बोर्ड गठित नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर बोर्ड के ऐसे सदस्य जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले पद धारण कर रहे थे, पद धारण नहीं करेंगे ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, प्रत्येक संस्थान के संबंध में गठित प्रत्येक सिनेट को तब तक इस अधिनियम के अधीन गठित सिनेट समझा जाएगा जब तक कि उस संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन नई सिनेट गठित नहीं की जाती है किन्तु इस अधिनियम के अधीन नई सिनेट के गठन पर इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व पद धारण करने वाले सिनेट के सदस्य अपना पद धारण नहीं करेंगे;

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत प्रत्येक संस्थान के नियम, उप विधियां और अध्यादेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, तत्संबंधी संस्थान को तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं ।

(घ) उस दशा मे, जहां ऐसे कोई नियम, उप विधियां और अध्यादेश विद्यमान नहीं हैं, वहां केन्द्र द्वारा वित्त पोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थानों में से किसी विद्यमान संस्थान के, उसके बोर्ड द्वारा यथा अंगीकृत परिनियम, अध्यादेश, नियम और विनियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, उस संस्थान को तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं ।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है तो अधिसूचना द्वारा ऐसे उपाय कर सकेगी जो विद्यमान संस्थान के अनुसूची के स्तंभ (5) के अधीन उल्लिखित तत्स्थानी संस्थान को अन्तरण के लिए आवश्यक हों ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

47. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

48. केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम, अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही

**प्रभावी होंगे । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनो सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, परिनियम, अध्यादेश नहीं बनाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएंगे, किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।**

## अनुसूची

(धारा 4(1) देखिए)

| क्रम सं0 | राज्य का नाम | विद्यमान संस्थान का नाम | अवस्थान | इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थान का नाम |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | आंध्र प्रदेश | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, श्री सिटी, चित्तूर, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, श्री सिटी, चित्तूर | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर । |
| 2. | असम | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी । |
| 3. | गुजरात | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, वडोदरा, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, वडोदरा । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, वडोदरा । |
| 4. | हरियाणा | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, सोनीपत, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, सोनीपत । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, सोनीपत । |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, ऊना, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, ऊना । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, ऊना । |
| 6. | झारखंड | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, रांची, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, रांची । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, रांची । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 7. | कर्नाटक | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, धारवाड़, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ । |
| 8. | केरल | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम । |
| 9. | महाराष्ट्र | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, नागपुर, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, नागपुर । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, नागपुर । |
| 10. | महाराष्ट्र | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, पुणे, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, पुणे । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, पुणे । |
| 11. | मणिपुर | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, सेनापति, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, सेनापति । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, सेनापति । |
| 12. | राजस्थान | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, कोटा, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, कोटा । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, कोटा । |
| 13. | तमिलनाडु | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | उत्तर प्रदेश | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, लखनऊ, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, लखनऊ । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, लखनऊ । |
| 15. | पश्चिमी बंगाल | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, कल्याणी। | भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, कल्याणी । |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा मानव संसाधनों का विकास करने के लिए और समाज के विकास में योगदान करने के लिए एक मुख्य तत्व है । एक छोटी शुरूआत करके भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरकर आया है तथा अब इसे वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग के एक मुख्य संघटक के रूप में माना जाता है । ज्ञान, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जनशक्ति का विकास करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक पूर्वापेक्षा है ।

2. वर्तमान में चार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की जबलपुर, कांचीपुरम्, ग्वालियर और इलाहाबाद में स्थापना की गई है, जो कि लोक वित्तपोषित हैं और जो सहबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित स्नातक के साथ स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 के द्वारा शासित हैं ।

3. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी बाजार का विकास करने के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी में नई जानकारी का विकास वैश्विक स्तर की जनशक्ति उपलब्ध कराने और शासन में स्वायता का सुनिश्चय करने के लिए सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी में बीस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का विनिश्चय किया है ।

4. इस समय पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी में पन्द्रह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यशील हैं, जिनको राष्ट्रीय महत्ता का संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव है । पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने की और संस्थानों को विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने में समर्थ बनाने की आवश्यकता है ।

5. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा डिग्री अनुदत्त करने की शक्ति इन संस्थानों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों की स्वीकार्यता में वृद्धि करेगी । यह संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक मानकों की जनशक्ति प्रदान करने में भी सशक्त करेगी, जिससे उनको प्रचालनों, स्वायता, उदार औद्योगिक निधियों तक पहुंच, संकाय, अनुसंधानकर्ताओं का चयन करने में स्वतंत्रता में वांछित नम्नीयता भी प्रदान करेगी और उन्हें मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी । पाँच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थी जुलाई और अगस्त, 2017 में अपना स्नातक कार्यक्रम पूरा करेंगे, इसलिए ऐसे संस्थानों को शीघ्र कानूनी प्रास्थिति प्रदत्त करने की आवश्यकता है ।

6. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विधान अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017 को लाने का विनिश्चय किया गया है ।

**7. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट करते हैं ।**

**8. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।**

**नई दिल्ली ;** **प्रकाश जावडेकर**
**24 मार्च, 2017**

## खंडों पर टिप्पण

**खंड 2—विधेयक का यह खंड कतिपय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्ता के संस्थान घोषित करने के लिए है ।**

**खंड 3—विधेयक का यह खंड प्रस्तावित विधान में उपयोग किए गए विभिन्न पदों की परिभाषाएं का उपबंध करता है ।**

**खंड 4—विधेयक का यह खंड अनुसूची में वर्णित पन्द्रह संस्थानों और किसी अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित किया जाए, के निगमन का उपबंध करने के लिए है ।**

**खंड 5—विधेयक का यह खंड संस्थानों के निगमन के प्रभाव का उपबंध करने के लिए है ।**

**खंड 6—विधेयक का यह खंड संस्थानों के उद्देश्यों का उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि संस्थान के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान के सहबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रमुख संस्थाओं में से उभर कर आना ; वैश्विक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में नए ज्ञान और नवप्रवर्तन में अभिवृद्धि करना ; देश की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय अभिविन्यास के साथ नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता की भावना से ओत-प्रोत, सक्षम और योग्य युवाओं का विकास करना ; प्रवेश, विभिन्न पदों पर नियुक्ति, शैक्षणिक मूल्यांकन, प्रशासन और वित्त से संबंधित विषयों में उच्चतम श्रेणी की पारदर्शिता का संवर्धन करना और उपलब्ध कराना, सम्मिलित है ।**

**खंड 7—विधेयक का यह खंड संस्थानों की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है, जिसमें परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शिक्षा संबंधी उपाधियां या पदवियां प्रदान करना और मानद डिग्रियां प्रदान करना ; संस्थान के निदेशक पद से भिन्न संस्थान के अधीन शैक्षिक, प्रशासनिक, तकनीकी, मंत्रालयी और अन्य पद सृजित करना तथा उन पर नियुक्तियां करना ; व्यक्ति, संस्था या निगमित निकाय से सेवाओं के लिए, जिनमें संस्थान द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण, परामर्श तथा सलाहकारी सेवाएं सम्मिलित हैं, ऐसे प्रभार, जो संस्थान ठीक समझे अवधारित करना, विनिर्दिष्ट करना तथा संदाय प्राप्त करना ; ऐसी अवसंरचना स्थापित करना और उसको बनाए रखना, जो संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो ।**

**खंड 8—विधेयक का यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वंश, नि:शक्तता, अधिवास, नस्ल, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों और प्रत्येक संस्थान में अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश, ऐसे संस्थान द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व उसके प्रास्पेक्टस के माध्यम से प्रकट पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर**

आधारित होगा । यह भी उपबंध करता है कि किसी भी संस्थान द्वारा किसी ऐसी संपत्ति की वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा जो परिषद् की राय में ऐसी शर्तों या बाध्यताओं को अन्तर्वलित करता है जो इस धारा के भाव और उद्देश्य के प्रतिकूल हैं ।

खंड 9—विधेयक का यह खंड उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान में सभी प्रकार के शिक्षण, इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार संस्थान के नाम से संचालित किए जाएंगे ।

खंड 10—विधेयक का यह खंड उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान एक गैर लाभकारी विधि अस्तित्व होगा और ऐसे संस्थान में इस अधिनियम के अधीन उसके प्रचालनों के संबंध में सभी व्ययों की पूर्ति के पश्चात् राजस्व के अधिशेष का भाग, यदि कोई है, ऐसे संस्थान की वृद्धि और विकास से या उसमें अनुसंधान संचालित करने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विनिहित नहीं किया जाएगा । प्रत्येक संस्थान, आत्म निर्भरता, भरणीयता और संस्थान के भावी विकास के लिए एक स्थोरा के सृजन के लिए निधियां जुटाने का प्रयास करेगा ।

खंड 11—विधेयक का यह खंड केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों द्वारा संस्थान की स्थापना का उपबंध करता है । राज्य सरकार कम से कम एक उद्योग भागीदार और अधिमानत: तीन उद्योग भागीदारों के सहयोग के लिए पहचान करेगी और केंद्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी । प्रस्तावित पूंजी विनिधान को केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों द्वारा 50:35:15 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 57.5:35:7.5 होगा) के अनुपात में वहन किया जाएगा । आवर्ती व्यय, जो प्रचालन के पहले पांच वर्ष के दौरान आवश्यक माना जाए, को केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । राज्य सरकार पचास से सौ एकड़ के विस्तार तक की भूमि बिना किसी लागत के उपलब्ध कराएगी । केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट मानदंड और प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर प्रस्ताव की जांच करेगी और उसे स्वीकार कर सकेगी, उपांतरणों का सुझाव देगी और कारणों को उपदर्शित करते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी । यह खंड उद्योग भागीदार की भूमिका का भी उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत समग्र फ्रेमवर्क के भीतर संस्थान के शासन में सक्रिय भागीदारी ; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ या तो वित्त पोषण, सहयोग या किसी अन्य रीति में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता करेंगे और सुकर बनाएगें ; प्रस्तावित स्थल पर पर्याप्त भौतिक संरचना की उपलब्धता या राज्य सरकार द्वारा उसे उपलब्ध कराए जाने की प्रतिबद्धता अर्थात् जल, विद्युत, सड़क संपर्कता और सुरक्षा ; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटरनशिप उपलब्ध कराएगा ; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थियों की नियुक्ति को सुकर बनाएगा ; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में डाक्टरेट अध्ययनों के लिए उनके पात्र कर्मचारियों को प्रायोजित करेगा ; संस्थान के स्ट्राटअप का वित्त पोषण और मार्गदर्शन करेगा ।

खंड 12—विधेयक का यह खंड यह उपबंध करता है कि भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे और वह उन्हें संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने

तथा जांच आयोजित करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 13—विधेयक का यह खंड संस्थान के प्राधिकारियों अर्थात् कुलाध्यक्ष ; शासक बोर्ड; सिनेट; वित्त समिति; ऐसे अन्य प्राधिकरण या पद, जिनको परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरण होना घोषित किया जाए ।

खंड 14—विधेयक का यह खंड प्रत्येक संस्थान के शासक बोर्ड के गठन का उपबंध करता है, जो संस्थान का प्रधान नीति निर्माता और कार्यकारी निकाय होगा या बोर्ड के अध्यक्ष के नामनिर्देशन का भी उपबंध करता है जो कि कोई एक विख्यात प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति या शिक्षाविद् होगा, जिसको कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । यह पहले शासक बोर्ड के गठन का भी उपबंध करता है ।

खंड 15—विधेयक का यह खंड बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, उनको संदेय भत्ते तथा बोर्ड की गणपूर्ति का उपबंध करता है ।

खंड 16—विधेयक का यह खंड यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष को अपने हस्ताक्षरित लिखित संबोधन द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । यह और उपबंध करता है कि सिवाय पदेन सदस्य के बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षरित लिखित संबोधन द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

खंड 17—विधेयक का यह खंड संस्थान के बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है और इसके अंतर्गत अधीक्षण और निदेशन, और नियंत्रण और विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान के कार्यकलापों को शासित करने वाले परिनियमों या अध्यादेशों को विरचित करने, संशोधित करने, उपांतरित करने या विखंडित करने ; डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शिक्षा संबंधी उपाधियां या पदवियां प्रदान करने और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करने और प्रदान करने ; संस्थान में अध्ययन, पाठ्यक्रमों के लिए फीसें और अन्य संदेय प्रभारों का अनुमोदन करने की शक्ति सम्मिलित है ।

खंड 18—विधेयक का यह खंड संस्थान की सिनेट की संरचना का उपबंध करता है जिसकी अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाएगी ।

खंड 19—विधेयक का यह खंड सिनेट, जो संस्थान का प्रधान शैक्षणिक निकाय है, की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है । इसकी शक्तियों और कृत्यों में संस्थान द्वारा प्रस्थापित अध्ययन के पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंड और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना ; कार्यक्रमों या अध्ययन के पाठ्यक्रमों के प्रारंभ के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना ; कार्यक्रमों और अध्ययन के पाठ्यक्रमों की विस्तृत शैक्षणिक अंतर्वस्तु को विनिर्दिष्ट करना ; शैक्षणिक कलैन्डर विनिर्दिष्ट करना और डिग्रियों, डिप्लोमाओं और अन्य शैक्षणिक उपाधियों या पदवियों को दिए जाने का अनुमोदन करना ; विश्वविद्यालयों के डिप्लोमाओं और डिग्रियों या अन्य संस्थानों को मान्यता प्रदान करना और संस्थान के डिप्लोमाओं या डिग्रियों की समतुल्यता अवधारित करना ; और विभागीय समन्वय के उपाय सुझाना ।

खंड 20—विधेयक का यह खंड वित्त समिति के गठन का उपबंध करता है जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

खंड 21—विधेयक का यह खंड वित्त समिति की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है, जिसमें संस्थान के लेखाओं की परीक्षा, व्यय के लिए प्रस्तावों और वित्तीय प्राक्कलनों की संवीक्षा करेगी और उसके पश्चात् उसे अनुमोदन के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ शासक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना सम्मिलित है ।

खंड 22—विधेयक का यह खंड बोर्ड के अधिवेशनों का उपबंध करता है, अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों और दीक्षांत समारोहों की सामान्यत: अध्यक्षता करेगा ।

खंड 23—विधेयक का यह खंड निदेशक का उपबंध करता है, जो संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा, नियुक्ति प्रक्रिया, पदावधि, पद से हटाए जाने की रीति आदि ।

खंड 24—रजिस्ट्रार की नियुक्ति और शक्तियों तथा कृत्यों का उपबंध करने के लिए है।

खंड 25—संस्थान के कार्यपालन के पुनर्विलोकन का उपबंध करने के लिए है । प्रत्येक संस्थान, उसकी स्थापना और इस अधिनियम के अधीन उसके निगमन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवे वर्ष के अवसान पर, उक्त अवधि के दौरान उसके उद्देश्यों की बाबत संस्थान के कार्यपालन और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगा या तृतीय पक्षकार के रूप में एक अभिकरण की नियुक्ति करेगा । पुनर्विलोकन समिति या तृतीय पक्षकार अभिकरण की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा तथा उसे संस्थान की वेबसाइट पर रखा जाएगा ।

खंड 26—यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन संस्थानों को, इस निमित्त यथास्थिति, संसद् और संबद्ध राज्य विधान-मंडल की विधियों द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धनों की ऐसी राशियों का संदाय ऐसी रीति में कर सकेगी, जो उसकी बाध्याताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षित हैं । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार, प्रत्येक संस्थान को धन की ऐसी राशियों का अनुदान कर सकेगी जो इसके द्वारा स्थापित छात्रवृत्तियों या अध्येतावृत्तियों जिसमें ऐसे संस्थान में अभ्यावेशित नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां या अध्येतावृत्तियां सम्मिलित है, के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित हैं ।

खंड 27—संस्थान की निधि को बनाए रखने संबंधी उपबंध करने के लिए है । यह खंड संस्थान की दीर्घकालिक संवहनीयता के लिए समग्र निधि और साथ ही विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विन्यास निधि का भी सृजन करने हेतु उपबंध करने के लिए है ।

खंड 28—प्रत्येक संस्थान के लेखा और संपरीक्षा हेतु उपबंध करने के लिए है । प्रत्येक संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे प्ररूप और ऐसे लेखा मानक के, जिसे

केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुसार तैयार किया जाने वाला तुलनपत्र भी है । यह खंड उस रीति का उपबंध करने के लिए भी है, जिसमें लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी ।

खंड 29—यह उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान, अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन कर सकेगा या ऐसी कोई बीमा स्कीम उपलब्ध करा सकेगा, जिसे वह उचित समझे ।

खंड 30—निदेशक को छोड़कर कर्मचारिवृंद की नियुक्तियों हेतु उपबंध करता है ।

खंड 31—ऐसे विषयों के लिए उपबंध करता है, जिनके संबंध में इस विधेयक के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिनियमों की विरचना की जा सकेगी ।

खंड 32—उस रीति के लिए उपबंध करता है, जिसमें परिनियम बनाए जाएंगे ।

खंड 33—ऐसे विषयों के लिए उपबंध करता है, जिनके संबंध में इस विधेयक और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों की विरचना की जा सकेगी ।

खंड 34—उस रीति के लिए उपबंध करता है, जिसमें अध्यादेश बनाए जाएंगे ।

खंड 35— माध्यस्थम अधिकरण, जिसका निर्णय अंतिम होगा, के गठन के माध्यम से विवादों के संबंध में कार्यवाही करने की पद्धति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 36—ऐसे विषयों के लिए उपबंध करता है जिन्हें निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा और जिन्हें प्रत्येक संस्थान के बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले लेखाओं के प्रत्येक विवरण के साथ संलग्न किया जाएगा ।

खंड 37—बोर्ड के निदेश के अधीन संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के लिए उपबंध करता है जिसे अनुबंधित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसे संसद् के प्रत्येक सदन और संबद्ध राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाया जाएगा ।

खंड 38—सभी संस्थानों के लिए तकनीकी शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाला एक समन्वयन मंच की स्थापना के लिए उपबंध करता है ।

खंड 39—समन्वयन मंच के सदस्यों की पदावधि और उन्हें संदेय भत्तों के उपबंध करता है ।

खंड 40—समन्वयन मंच के कृत्यों और कर्तव्यों के लिए उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत अनुभवों, विचारों और चिंताओं का आदान-प्रदान; संस्थानों के समान हित वाले ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श करना, जो किसी संस्थान द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं; और केन्द्रीय सरकार को, छात्रवृत्तियां प्रारंभ करने की सिफारिश करना भी है, जिसके अंतर्गत अनुसंधान हेतु तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के फायदे के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं।

खंड 41—केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कतिपय विषय-वस्तुओं पर नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

**खंड 42—यह उपबंध करता है कि समन्वयन मंच, या किसी संस्थान या इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित बोर्ड, सिनेट या किसी अन्य निकाय की कोई कार्रवाई केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; उसकी प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ; और उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के चयन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ।**

**खंड 43—संस्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार या संबद्ध राज्य सरकार को उसकी नीतियों या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य सूचनाएं देने हेतु उपबंध करता है, जो केन्द्रीय सरकार संसद या राज्य विधान-मंडल को रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए या नीति बनाने के लिए समय-समय पर अपेक्षा करे ।**

**खंड 44—इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले निदेशों का संस्थान द्वारा क्रियान्वयन किए जाने के लिए उपबंध करता है ।**

**खंड 45—यह उपबंध करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध प्रत्येक संस्थान को ऐसे लागू होंगे मानो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित कोई लोक प्राधिकारी हो ।**

**खंड 46—बोर्ड, सिनेट, नियमों, उपविधियों और अध्यादेशों की बाबत संक्रमणकालीन उपबंधों के लिए उपबंध करता है । विद्यमान उपबंध तत्समान संस्थान में उस विस्तार तक और उस समय तक लागू बने रहेंगे, जहां तक वे इस विधेयक के उपबंधों से असंगत नहीं हैं और जब तक कि प्रस्तावित विधेयक के अधीन प्रथम परिनियमों और अध्यादेशों को बना नहीं दिया जाता ।**

**खंड 47—केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने में उदभूत होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त करता है । यह खंड आगे और उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसे बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।**

**खंड 48—यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम, अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को उसे बनाए या जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।**

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 4 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित प्रत्येक विद्यमान संस्थान अनुसूची के स्तंभ (5) में यथावर्णित उसी नाम से एक निगमित निकाय होगा ।

2. खंड 11 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी में किसी संस्थान की स्थापना के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार सहयोग के लिए कम से कम एक और अधिमानत: तीन उद्योग भागीदारों की पहचान करेगी तथा केंद्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

3. उक्त खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव की ऐसे मानदंड के आधार पर, जो विहित किया जाए, जांच करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ, प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी के विनिधान को केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों द्वारा वहन किया जाना भी है, जो 50:35:15 के अनुपात में होगा और आवर्ती व्यय, जो प्रचालन के पहले पांच वर्ष के दौरान आवश्यक माना जाए, को केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । तथापि, पूर्वोत्तर राज्य में प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी विनिधान का अनुपात 57.5:35:7.5 होगा ।

4. विधेयक का खंड 26, अन्य बातों के साथ, उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार प्रत्येक संस्थान को ऐसी धनराशियों का अनुदान देगी, जो उसके द्वारा संस्थित छात्रवृत्तियों या अध्येतावृत्तियों, जिसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के या ऐसे संस्थान में नामांकित नागरिकों के वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां या अध्येतावृत्तियां भी हैं, को चुकाने के लिए अपेक्षित हो । व्यय को भारत की संचित निधि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन बजटीय उपबंधों से चुकाया जाएगा ।

## प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 41 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों से संबंधित हो सकेंगे--

(क) वह प्ररुप और रीति, जिसमें राज्य सरकार खंड 11 के उपखंड (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी ;

(ख) खंड 39 के उपखंड (4) के अधीन समन्वयन मंच के सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते ;

(ग) खंड 40 के उपखंड (4) के अधीन समन्वयन मंच के अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ।

2. उक्त विधेयक के खंड 17 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड साधारण रूप से नीति बनाए जाने, पर्यवेक्षण, निदेश उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके पास संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थान के कार्यों को शासित करने वाले परिनियमों और अध्यादेशों को विरचित, संशोधित, उपांतरित या विखंडित करने की शक्ति होगी ।

3. विधेयक का खंड 31 संस्थान के परिनियमों को तैयार किए जाने के लिए उपबंध करता है जो निम्नलिखित से संबंधित होंगे--

(क) शिक्षण विभागों का बनाया जाना ;

(ख) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों का प्रारंभ किया जाना ;

(ग) संस्थान के अधिकारियों की पदावधि और उनकी नियुक्ति की पद्धति;

(घ) संस्थान के शिक्षकों की अर्हताएं;

(ङ) संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण;

(च) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए समय-समय पर विद्यमान उपबंधों के अनुसार पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना;

(छ) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य;

(ज) छात्र-निवासों और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण;

(झ) संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें और छात्र-निवासों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण;

(ञ) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते;

(ट) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ;

(ठ) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कामकाज के संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया; और

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जो संस्थान के दक्ष कार्यकरण के लिए आवश्यक समझा जाए ।

4. विधेयक का खंड 32 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम बोर्ड द्वारा कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बनाए जाएंगे । बोर्ड, समय-समय पर, इस खंड में उपबंधित रीति में नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा ।

5. विधेयक का खंड 33 संस्थान के अध्यादेशों को तैयार किए जाने के लिए उपबंध करता है जो निम्नलिखित से संबंधित होंगे--

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) संस्थान की सभी उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को संस्थान के उपाधि या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और उसकी परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए पात्र होंगे ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य;

(च) परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) संस्थान के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ; और

(ज) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जा सकेगा ।

6. विधेयक का खंड 34 यह उपबंध करता है कि संस्थान की सिनेट ऐसे अध्यादेश बना सकेगी, जो ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश दे, किंतु इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों को यथासंभव शीघ्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड अपने अगले अधिवेशन में उन पर विचार करेगा । बोर्ड के पास संकल्प के द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को उपातंरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से तदनुसार यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

7. वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और स्वयं विधेयक में उनके लिए उपबंध करना साध्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।